न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./79/2017/जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मांगुदान पुत्र जेठूदान जाति चारण निवासी सांगड़ तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 20/2016 बनवान जेठूदान कायम मुकाम मांगुदान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सागड़ के खसरा संख्या 61/724 रकबा 04.16 बीघा, खसरा संख्या 436 रकबा 25.05 बीघा, खसरा संख्या 439 रकबा 11.07 बीघा, खसरा संख्या 441 रकबा 02.14 बीघा, खसरा संख्या 442 रकबा 75.02 बीघा, खसरा संख्या 443 रकबा 06.05 बीघा, खसरा संख्या 64 रकबा 69.09 बीघा, खसरा संख्या 193 रकबा 33.14 बीघा, खसरा संख्या 194 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 197 रकबा 12.16 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में बड़ी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया वक्त सेटलमेंट में में ग्राम सागड़ के वर्तमान खसरा संख्या 61/724 रकबा 04.16 बीघा, खसरा संख्या 436 रकबा 25.05 बीघा, खसरा संख्या 439 रकबा 11.07 बीघा, खसरा संख्या 441 रकबा 02.14 बीघा, खसरा संख्या 442 रकबा 75.02 बीघा, खसरा संख्या 443 रकबा 06.05 बीघा, खसरा संख्या 64 रकबा 69.09 बीघा, खसरा संख्या 193 रकबा 33.14 बीघा, खसरा संख्या 194 रकबा 16.14 बीघा व खसरा संख्या 197 रकबा 12.16 बीघा भूमि रेस्पोडेंट/वादी और उनके वालिदान की पैतृक पीढियों की भूमि है जिस पर बहैसियत मालिक एवं काबिज काश्तकार है। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट/वादीगण की मौके पर रहवासी ढाणीयों टांके बने हुए तथा रेस्पोडेंट/वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं अधीनस्थ न्यायालय किया। दावा प्रस्तुतिकरण पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है तथा इस पर 08.12.2015 की तारीख अंकित है। पीठासीन अधिकारी ने रिपॉर्ट होने पर दिनांक 02.03.2016 को दावा दर्ज करने के आदेश दिये है। दावा पर वादी के हस्ताक्षर एवं शपथ–पत्र व वकालतनामे पर उसके हस्ताक्षरों में स्पष्ट भिन्नता दृष्टिगोचर है। दावे में विधिवत रूप से अभिलेख प्रदर्शित नहीं हुआ है। "लिहाजा साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है।" साक्ष्य वादी जगुदान, मांगूदान (वादी स्वयं), राणीदान के शपथ–पत्र (पृष्ठ 38) पर न तो **प्रस्तुतिकरण है न ही पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं न ही साक्षी प्रतिवादी पटवारी सुमन के बयानों पर प्रस्तुतिकरण है न ही पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ही हैं** दावे के विचारण की प्रक्रिया में घोर अनियमितताएं पाई गई हैं। वादी रेस्पोडेंट मांगुदान का वादग्रस्त भूमि पर सर्वप्रथम बार अतिक्रमण संवत 2070 में 61/724, 62, 69, 70 में रकबा 44 बीघा पत्रावली संख्या 51/2013 से पुष्ट है जो बाद में संवत 2072 में खसरा संख्या 54, 61/124, 69 व 70 में 34 बीघा रहा। वादी रेस्पोडेंट का वादग्रस्त भूमि पर इससे पहले कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या परितर्वनशील (EXP-17) संवत 2067, खसरा संख्या परितर्वनशील (EXP-18) संवत 2068, खसरा संख्या परितर्वनशील (EXP-19) संवत 2069, खसरा संख्या परितर्वनशील (EXP-20) संवत 2070, खसरा संख्या परितर्वनशील (EXP-21) संवत 2071, खसरा संख्या परितर्वनशील (EXP-22) संवत 2072 का रेस्पोडेंट के दावे से कोई संबंध नहीं हैं। वादी ने समरी के जिन खसरा नंबरों के हवाले से दावा किया है वह भूमि ग्राम सांगड़ के लगभग 35 व्यक्तियों की तत्समय संयुक्त खातेदारी में दर्ज है लेकिन उनके वर्तमान में विद्यमान विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे दावा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी खारिज योग्य ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न तो दावा सद्भाविक है, न ही वाद विचारण की प्रक्रियागत कार्यवाही ही सद्भाविक है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2016 बनवान जेठूदान कायम मुकाम मांगुदान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 को खारिज किया जाता है।

20/6/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner